(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 2020

सा.का.नि.....(अ).- जहां कि "रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद [1511 90 10] या टैरिफ मद [1511 90 20] के अंतर्गत आते हैं, के आयात से संबंधित मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 9 के अनुसार प्रारंभिक मामला संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जांच का कार्य शुरू किया था;

और जबकि अधिसूचना (द्विपक्षीय सुरक्षा जांच) वाद संख्या (एसजी) 04/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 जिसे दिनांक 26 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी अपने प्राथमिक निष्कषों में उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं कि यदि सुरक्षा उपायों को लागू करने में विलम्ब होता है तो स्वदेशी उत्पादकों को अपूरणीय क्षति हो जाएगी और उन्होंने मलेशिया में मूलत: उत्पादित और भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (एतश्मिन पश्चात जिसे सीईसीए से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत आरक्षित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में 180 दिन के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है;

और जहां कि, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 1 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनन्तिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को अधिरोपित किया था;

और जहां कि, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना (द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच) वाद संख्या (एस.जी.) 04/19, दिनांक 28 फरवरी, 2020 जिसे दिनांक 28 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी अपने अंतिम निष्कर्षों में इस बात को नोट किया है और सिफारिश की है कि –

(क) जब जांच कार्य चल रहा था, उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 39/2015-2020, दिनांक 8 जनवरी, 2010 के तहत एचएस कोड 1511 90 10 (रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम आयल) एचएस कोड 1511 90 20 (रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन) और एचएस कोड 1511 90 90 (अन्य) के अंतर्गत आने वाले मदों से संबंधित आयात नीति में संशोधन कर दिया था और उक्त विषयगत वस्तु को "प्रतिबंधित" की श्रेणी में रख दिया था ।

(ख) दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 'एशियान' के साथ भारतीय गणराज्य के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एतश्मिन पश्चात जिसे से 'एशियान' करार संदर्भित किया गया है) (जिसमें मलेशिया भी शामिल है) और सीईसीए के अंतर्गत लगाए जाने वाले आधारभूत सीमा शुल्क में 1 जनवरी, 2020 से परिवर्तन कर दिया गया था और इन दोनों ही करारों के अंतर्गत कच्चे पाम आयल और रिफाइंड पामोलीन/पाम आयल के बीच 7.5% का अंतर है ।

(ग) 'एशियान' करार के अंतर्गत इसी प्रकार के शुल्क को लगाए बिना वर्तमान करार के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क को लगाने का मतलब है इस रक्षोपाय शुल्क को बेकार कर देना क्योंकि उपभोक्ता तो 'एशियान' करार के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का उपयोग कर लेंगे ।

(घ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत सीईसीए के अंतर्गत "रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम आयल और "रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन" के आयात पर, अनंतिम शुल्क के लगाए जाने की तारीख से 180 दिनों के लिए जो द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है वह वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पर्याप्त है और इस वर्तमान 180 दिन की अवधि के बाद भी किसी रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने की जरूरत नहीं है ।

और अधिसूचना संख्या 22/4/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत जारी प्रारंभिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि की है और निम्नलिखित निर्णय लिया है कि :-

(क) केन्द्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत "रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम आयल" और "रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन" के आयात पर लगाए जाने वाले अनंतिम शुल्क की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या 22/4/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत जारी प्राथमिक निष्कर्षों में विनिर्दिष्ट रूप में और तरीके से विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए ।

(ख) उपर्युक्त निष्कर्षों को देखते हुए उक्त द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, मलेशिया में मूलत: उत्पादित और भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत आयातित उक्त विषयगत वस्तु जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद [1511 90 10] या टैरिफ मद [1511 90 20] के अंतर्गत आती है, के आयात पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क, जिसे

कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा लगाए गए और अधिसूचित किए गए ऐसे शुल्क की तारीख (अर्थात 4 सितम्बर, 2019) से 180 दिन के लिए लगाए जाने को अभिपुष्ट करती है ।

(फाइल संख्या 354/132/2019-टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार